न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 08/10 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2010/00119

उनवान

1. दीवान सिंह पुत्र नेकराम
2. निरोती पुत्री मौजा

} जाति लोधा निवासी बहरावली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र थोलू जाति लोधा ग्राम बहरावली तहसील सैपऊ।
2. कुसुमा पुत्री जंगजीत पत्नी नेपाल सिंह जाति लोधा सतरोई उर्फ खालिकपुर तहसील कासगंज जिला एटा यू0पी0।
3. कलुआ पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी मांगरौल हाल आबाद बडा उर्खिरा तहसील व जिला धौलपुर।
4. विधाराम उर्फ रंजीत पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी मांगरौल हाल आबाद दुकान नंबर 29 जमीन गली सिकन्दरा मण्डी आगरा तहसील व जिला धौलपुर।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी मांगरौल उप तहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
6. माया पुत्री बाबूलाल पत्नी उदयराम जाति लोधा निवासी धनोली तहसील किरावली जिला आगरा यू0पी0।
7. राजन देवी पुत्री बाबूलाल पत्नी अनिल कुमार जाति लोधा निवासी लाल का पुरा तहसील बाह जिला आगरा यू0पी0।
8. नत्थी पुत्र भवानीपाल जाति लोधा निवासी बहरावली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
10. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक मनिया द्वारा प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक मनिया जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.11.2009 प्रकरण संख्या 319/04 उनवान दीवान सिंह बनाम रामभरोसी न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

अभिभाषकगण :—

1. श्री सुरेश कटारा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गिरीश व्यास अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :—19.02.2025

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलकटर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 707, 806 स्थित ग्राम बहरावती तहसील सैपऊ का जमींदार सूखी पुत्र दयाराम जाति लोधा था। उसकी खुद काश्त की आराजी थी उसने विवादित आराजीयात को संवत 2015 में हमेशा हमेशा के लिये सरकारी लगान पर शिकमी काश्त पर नेकराम, निरोती पिसरान मौजा जाति लोधा को दी थी। बन्दोबस्त विभाग ने सक्षम अधिकार के आदेश इन्द्राज में परिवर्तन कर दिया और विवादित आराजी पर सूखी पुत्र दयाराम 1/2 भाग, रामभरोसी, जंगजीत पिसरान थोलू 1/2 भाग, बाबू नत्थी पिसरान भवानीपाल 1/4 भाग का इंद्राज कर दिया तथा शिकमी नेकराम निरोती पिसरान मौजा का इंद्राज हटा दिया। जबकि बंदोबस्त को इस प्रकार इंद्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजी पर नेकराम, निरोती पिसरान मौजा संवत 2026 से शिकमी काश्त पर थे। अतः उन्हें नियमानुसार धारा 19 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर सूखी पुत्र दयाराम ने विवादित आराजी 1/2 भाग को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अन्य प्रतिवादी रैस्पो0 को विक्रय कर दिया। अतः उक्त वयनामा प्रारम्भ से ही प्रवाभहीन एवं शून्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2009 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो अभिभाषक रैस्पो0 एवं ना ही रैस्पो0 स्वयं हाजिर अदालत आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि विवादित आराजी को अपीलाण्ट ने संवत 2015 में शिकमी काश्त पर लिया था। उक्त तथ्य बाबत् जमाबन्दी संवत 2016–19 में इंद्राज हैं खसरा गिरदावरी में भी इंद्राज हैं। संवत 2020 से 2028 तक बंदोबस्त हुआ। जिसमें अपीलाण्ट के इंद्राज बदलकर अन्य के नाम कर दिये। संवत 2016 में हमारे शिकमी के इंद्राज है। अतः अपीलाण्ट को विधिअनुसार स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। गलत इंद्राज के आधार पर विवादित आराजी में से कुछ हिस्सा का वयनामा रामभरोसी के नाम हो गया, जो प्रारंभ से शून्य एवं प्रभावहीन है। क्योंकि तत्सयम विक्रेता का कब्जा विवादित आराजी पर नहीं था। विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलाण्ट का ही रहा है। अतः अपीलाण्ट को विधि अनुसार विवादित आराजी में स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। बंदोबस्त विभाग को इंद्राज परिवर्तन के कोई अधिकार हासिल ही नहीं थे। अतः बंदोबस्त विभाग द्वारा जो इंद्राज परिवर्तन किये हैं, वह गलत हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर धारा 19 (1) ए, आरबीजे 1998 पेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

610, 2000 पेज 397, 2001 पेज 603 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु छः तनकियॉ कायम की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कारण सहित विस्तृत विवेचना की जाकर दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी को शिकमी काश्त पर लेना एवं स्वयं को विवादित आराजी का शिकमी होने के आधार पर धारा 19 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करते हैं। प्रथम तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित होने का कोई प्रावधान नही है। जहॉ तक शिकमी के इंद्राजो का प्रश्न है, यह मान भी लिया जावें कि संवत 2015 से लेकर संवत 2022 तक वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी पर शिकमी के रूप मे दर्ज रहे हैं। परन्तु शिकमी काश्त एक निश्चित अवधि तक देय होती है। उसके बाद भी यदि विवादित आराजी पर वादीगण अपीलाण्ट के पूर्वज नेकराम, निरोती की शिकमी काश्त दर्ज होती, तो भी नेकराम, निरोती की मृत्यु के साथ ही या अधिकतम पॉच वर्ष की समाप्ति पर जो भी पहले हो, उसके शिकमी अधिकार समाप्त हो जाते। अतः विरासत के आधार पर वादीगण अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा एक उप अभिधारी के लिए यह आवश्यक है कि वह दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी को उप काश्त पर लिया जाना तथा लगान देना या देने के लिए दायी होना साबित करें तथा लगान संदाय से पूर्व उप अभिधारी को उप अभिधृति की संविदा को सबित करना भी नितांत आवश्यक है। अतः अपीलाण्ट द्वारा एक भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नही किया, जिससे उनके द्वारा विवादित आराजी की लगान जमा कराना साबित होता हो एवं उप अभिधारी की संविदा साबित होती हो। जहॉ तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथनो का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचना अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार तार्किक है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2009 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
Civil Procedure Code] AppendiÛ D&1)
अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर, कैम्प धौलपुर
व इजलास श्री सुनील आर्य (आर०ए०एस०)

अपील सख्याः– 08/2010 (223 आर० टी० एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2010/00119

उनवान

1. दीवान सिंह पुत्र नेकराम
2. निरोती पुत्री मौजा कराम

} जाति लोधा निवासी बहरावली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र थोलू जाति लोधा ग्राम बहरावली तहसील सैपऊ।
2. कुसुमा पुत्री जंगजीत पत्नी नेपाल सिंह जाति लोधा सतरोई उर्फ खालिकपुर तहसील कासगंज जिला एटा यू०पी०।
3. कलुआ पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी मांगरौल हाल आबाद बडा उर्खिरा तहसील व जिला धौलपुर।
4. विधाराम उर्फ रंजीत पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी मांगरौल हाल आबाद दुकान नंबर 29 जमीन गली सिकन्दरा मण्डी आगरा तहसील व जिला धौलपुर।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल जाति लोधा निवासी मांगरौल उप तहसील मनियों तहसील व जिला धौलपुर।
6. माया पुत्री बाबूलाल पत्नी उदयराम जाति लोधा निवासी धनोली तहसील किरावली जिला आगरा यू०पी० ।
7. राजन देवी पुत्री बाबूलाल पत्नी अनिल कुमार जाति लोधा निवासी लाल का पुरा तहसील बाह जिला आगरा यू०पी० ।
8. नत्थी पुत्र भवानीपाल जाति लोधा निवासी बहरावली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
10. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक मनिया द्वारा प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक मनिया जिला धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.11.2009 प्रकरण संख्या 319/04 उनवान दीवानसिंह बनाम रामभरोसी न्यायालय सहायक कलक्टर मु० धौलपुर।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री सुरेश कटारा उपस्थित व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री गिरीश व्यास अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु० धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2009 के आदेश यथावत रखे जाते है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 02 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जिदावा			स्टाम्प अर्जिदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

मुहर

दस्तखत.
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)